संख्या–464/XVI-2/09/7(28)/09

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर,2009

विषयः–अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत जिला सैक्टर की चालू योजनाओं हेतु लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या–215/XVI-2/08/7(28)/09 दिनांक 05 जून 2009 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0–48.94 लाख में संशोधन करते हुए अब रू0–37.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1163/लेखा/जि0यो0/2009–10,दिनांक 27 नवम्बर ,2009 तथा पत्र संख्या–1063/लेखा/बजट/2009–10,दिनांक 12 नवम्बर,2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत भेषज विकास इकाई की जिला पक्ष की योजनाओं हेतु लेखानुदान के माध्यम से कुल प्राविधानित धनराशि रू0–49.17 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–215/XVI-2/08/7(28)/09 दिनांक 05 जून 2009 द्वारा रू0–48.94 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई थी। अब आपके प्रस्ताव तथा प्रश्नगत योजनाओं हेतु वार्षिक आय–व्ययक 2009–10 में प्राविधानित बजट व्यवस्था तथा नियोजन द्वारा उपलबध कराई गई योजनावार फॉट के दृष्टिगत 9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान, 9114–जड़ी–बूटी रोपण सामग्री का उत्पादन एवं 9115–भेषज संघों का अवस्थापना विकास में कमशः रू0–10.00 लाख, रू0–12.00 लाख एवं रू0–15.87 लाख अर्थात समग्र रूप से **रू0–37.87 लाख (रू0 सैतींस लाख सत्तासी हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्नक–1** में उल्लिखित विवरणानुसार योजनावार/ जनपदवार फॉट करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिला योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन किये जाने विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–624/जि0यो0/ रा0यो0आ0मु0 स0/2008,दिनांक–24 मार्च,2008 के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत करते हुए, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा जनपदवार अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अनुमोदित परिव्यय की सीमा से अधिक व्यय कदापि नही किया जायेगा।

2– इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो के लिए ही किया जायेगा। तथा गत वर्ष के वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–205/XXVII(1)/2009,दिनांक–25 मार्च,2009 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008 भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

..2/–

5– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय,जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– योजनान्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी तैयार की जाय, जिससे कार्यक्रम कियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें की जिला पक्ष की योजनाओं कमशः –9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान–9114–जड़ी–बूटी रोपण सामग्री का उत्पादन एवं 9115–भेषज संघों का अवस्थापना विकास के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–464/XVI-2/09/7(28)/09,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

शासनादेश संख्या– 464/XVI-(2)/09/ 7 (28)/09,दिनांक– 22 दिसम्बर,2009 का संलग्नक–1

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रं0 सं0	नाम जनपद	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान	9114– जड़ी–बूटी रोपण सामग्री का उत्पादन	9115– भेषज संघों का अवस्थापना विकास	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अल्मोड़ा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी भेषज विकास इकाई	75	75	235	385
2	उधमसिंहनगर	---तदैव---	40	–	275	315
3	बागेश्वर	---तदैव---	70	75	–	145
4	चम्पावत	---तदैव---	50	75	–	125
5	नैनीताल	---तदैव---	40	50	–	90
6	पिथौरागढ़	---तदैव---	150	175	–	325
7	उत्तरकाशी	---तदैव---	75	200	560	835
8	चमोली	---तदैव---	30	50	–	80
9	टिहरी	---तदैव---	150	150	307	607
10	देहरादून	---तदैव---	20	100	–	120
11	पौड़ी	---तदैव---	100	–	–	100
12	रूद्रप्रयाग	---तदैव---	140	200	–	340
13	हरिद्वार	---तदैव---	60	50	210	320
	कुल योगः–		1000	1200	1587	3787

(रू0 सैंतीस लाख सत्तासी हजार मात्र)

(विनोद फोनिया)
सचिव।